(1)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट दूदू

पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाल परिहार (आर.ए.एस)

प्रार्थना पत्र 14 (4) संख्या 53/2012 पुनः दर्ज 24/2021

बाबूलाल पुत्र छोगा बलाई, निवासी ग्राम केरिया खुर्द, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. शंकरलाल पुत्र लालू जाति रैगर निवासी ग्राम केरिया खुर्द तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर
2. बी.एन.गौड पुत्र हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी केरिया खुर्द, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
3. सूरजकरण पुत्र कालू कौम रैगर, साकिन केरियाखुर्द, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर ।
4. श्रीमती मनभरी बेवा गुरधा कौम बागरिया, केरियाखुर्द, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दूदू, जिला जयपुर ।
6. उपखण्ड अधिकारी सांभर एवं अध्यक्ष आवंटन सलाहकार समिति, तहसील फुलेरा ।
7. उपखण्ड अधिकारी दूदू एवं आवंटन सलाहकार समिति दूदू ।
8. पांचूराम पुत्र श्योजीराम जाट निवासी केरियाखुर्द, तहसील दूदू, जिला जयपुर
9. रामधन पुत्र श्योजीराम जाट निवासी केरियाखुर्द, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

अभिभाषक गणः–

वास्ते प्रार्थी –
एडवोकेट श्री हनुमान प्रसाद चौधरी
अप्रार्थी संख्या 1 एक तरफा कार्यवाही
अप्रार्थी संख्या 2
एडवोकेट श्री भैरूलाल शर्मा
अप्रार्थी संख्या 3 एक तरफा कार्यवाही
अप्रार्थी संख्या 4
एडवोकेट श्री राजेन्द्र सिंह मण्डावरी
अप्रार्थी संख्या 5,6,7 पैरोकार सरकार
अप्रार्थी संख्या 8, 9
एडवोकेट श्री मुकेश चौधरी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) आवंटन नियम 1970 बाबत निरस्त किये जाने फर्जी भूमि आवंटन आदेश आवंटन सलाहकार समिति दिनांक 28.06.1976 साबिका खसरा नम्बर 08 बीघा 14 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 277, 264, 450, 451, 452 ग्राम केरिया खुर्द, तहसील मौजमाबाद हाल तहसील दूदू।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

निर्णय

दिनांक : 30.06.2025

प्रस्तुत प्रकरण ग्राम कोरिया खुर्द पटवार मण्डल तरसेवा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरसौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर से सम्बन्धित है तथा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि-

1. प्रकरण ग्राम कोरिया खुर्द पटवार हल्का तरसेवा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हरसौली, तहसील दूदू, जिला जयपुर के नामान्तकरण संख्या 45 दिनांक 27.03.1976 से आराजी खसरा नम्बर 251 रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा अन्य भूमि खसरा नम्बर 125 रकबा 30 बीघा 18 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 123 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 67 बीघा 4 बिस्वा भूमि भूरदान वगैरह के खाते से सीलिंग में आने के कारण सवाई चक स्वीकार की गई एवं नामान्तरकरण संख्या 49 दिनांक 18.05.1977 से रामप्रताप दान पुत्र रामकरण दान कौम चारण के खाते से खसरा नम्बर 251 रकबा 9 बीघा भूमि सीलिंग में आने के कारण सवाई चक अंकित की गई।
2. प्रार्थी रुघा पुत्र देवा कौम बलाई को खसरा नम्बर 251 रकबा 4 बीघा एवं खसरा नम्बर 282 में 8 बीघा 14 बिस्वा कुल 12 बीघा 14 बिस्वा भूमि आवंटित की गई जो उसके नाम से गैर खातेदारी में अंकित है। उसी दिनांक को अप्रार्थी शंकरलाल को आराजी खसरा नम्बर 282 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा भूमि एवं श्री बी.एल.गौड को भी खसरा नम्बर 282 में 14 बीघा 7 बिस्वा एवं श्री सूरजकरण को खसरा नम्बर 282 में 8 बीघा 14 बिस्वा, भूमि आवंटित की गई। लेकिन न तो शंकरलाल का, न ही बी.एल.गौड का, न ही सूरज का कब्जा काश्त हुआ। यह तमाम आवंटन नुमाइशी फर्जी, गैरकानूनी है। यह आवंटी गांव के मूल निवासी नहीं है। अतः इन अप्रार्थीयान का आवंटन निरस्त किया जाना आवश्यक है। इसी तरह श्रीमती मनभरी देवी पत्नी दुर्गा को भी उसी दिन खसरा नम्बर 251 में 9 बीघा भूमि आवंटित कर दी गई जबकि बैलेन्स में खसरा नम्बर 251 में केवल 5 बीघा ही थी जिसमें से प्रार्थी को 4 बीघा भूमि पहले से ही आवंटित कर दी गई थी। अतः 4 बीघा भूमि मनभरी देवी की निरस्त किया जाना आवश्यक है। श्री बी.एल.गौड , शंकरलाल व सूरजकरण का आवंटन दिनांक 28.06.1976 से कोई कब्जा नहीं है तथा ना ही ये इस गांव के निवासी है।
3. प्रार्थी को खातेदारी प्रदत्त नहीं की गई। अतः एक वाद संख्या 21/1994 दिनांक 18.01.1994 को सहायक कलक्टर दूदू के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी मौके पर गैर खातेदार काश्तकार है लेकिन आवंटन सलाहकार समिति द्वारा अपात्र व्यक्तियों को भूमि आवंटन कर दिये जाने के कारण प्रार्थी को खातेदारी नहीं दी गई। खसरा नम्बर 282 के नये खसरा नम्बर 450, 451, 452, 264, 277 बने। खसरा नम्बर 282 से बने नम्बरों पर आवंटन नुमाईशी फर्जी एवं अवैध होने के कारण निरस्तनीय है।
4. पटवारी से प्राप्त नकल के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 56 शंकरलाल के नाम से नामा. संख्या 52 बी.एल.गौड के नाम से तथा नामा. संख्या 57 सूरजकरण के नाम से दर्ज किये गये है जो निरस्तनीय है एवं नामान्तरण संख्या 53 जो मनभरी के नाम दर्ज किया गया है उसे संशोधित किये जाने हेतु भूमि आवंटन नियम 1970 के तहत निरस्त किये जाने के सम्पूर्ण अधिकार न्यायालय को होने का कथन किया है। उपरोक्तानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है आवंटन सलाहकार समिति सांभर/दूदू से आवंटन दिनांक 28.06.1976 संबंधी रिकार्ड तलब करावें एवं उपरोक्त अवैध आवंटन एवं उनके फलस्वरूप दर्ज हुए नामान्तरकरण संख्या 52, 56 एवं 57 को निरस्त किया जावें। नामान्तरकरण संख्या 53 में संशोधन किया जाकर प्रार्थी को अपने आवंटन शुदा गैरखातेदारी भूमि पर खातेदारी प्रदत्त की जावें।

प्रस्तुत प्रकरण में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

(1) नामान्तरकरण संख्या 45
(2) नामान्तरकरण संख्या 55
(3) मृत्यु प्रमाण पत्र छोगाराम
(4) नामान्तरकरण संख्या 52
(5) नामान्तरकरण संख्या 56
(6) नामान्तरकरण संख्या 57
(7) नामान्तरकरण संख्या 53
(8) जमाबन्दी सम्वत् 2050–53
(9) जमाबन्दी सम्वत् 2065–68
(10) छायाप्रति रिपोर्ट तहसीलदार मौजमाबाद दिनांक 24.03.2011
(11) छायाप्रति उपखण्ड अधिकारी दूदू दिनांक 04.08.2009

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई एवं अधीनस्थ कार्यालय का रिकार्ड तलब किया गया। प्रकरण में मूल आवंटन पत्रावली उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक से तलब की गई।

चूकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग विगत विधि इतिहास हैं, अतः प्रत्येक अप्रार्थी के लिए पृथक पृथक रूप से विचार किया जाना उचित होगा। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अप्रार्थीगण के लिए पृथक पृथक विचार किया जाकर निस्तारित किया जाता है।

(1) अप्रार्थी श्री शंकरलाल पुत्र लालू जाति रैगर निवासी ग्राम केरिया बुजुर्ग रहलाना, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर – प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 शंकरलाल के हिस्से तक प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

श्री शंकरलाल पुत्र लालू जाति रैगर सा. ग्राम केरिया बुजुर्ग को ग्राम केरिया बुजुर्ग के आराजी खसरा नम्बर 282 कुल 28 बीघा 14 बिस्वा में से 14 बीघा 07 बिस्वा भूमि के लिए नामान्तरण संख्या 56 निर्णय दिनांक 17.09.1977 मिसल नम्बर 2323 दिनांक 21.07.1976 के आधार पर आवंटन के आधार पर दर्ज कर स्वीकार किया गया है। इस संबंध में प्रार्थी के द्वारा आवंटन आदेश के संबंध में कथन किया है कि इस प्रकार का कोई आवंटन हुआ ही नहीं है। उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक द्वारा अपने पत्रांक विविध/12/744 दिनांक 21.08.2012 के द्वारा इस न्यायालय को उपलब्ध करवाई आवंटन की मूल पत्रावली के अनुसार उपखण्ड अधिकारी सांभर द्वारा केरिया बुजुर्ग में आराजी खसरा नम्बर 282 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा भूमि आवंटन पत्रावली प्रेषित की है। इसके साथ संलग्न आवंटन पत्रावली में श्री शंकरलाल N66 13931756 Sep/Swpr द्वारा अनुसूचित जाति के सदस्य होने तथा आर्मी में Army Medical Corps में काम करने के आधार पर ग्राम साली में सरप्लस भूमि आवंटन चाहा गया है। श्री शंकरलाल के प्रार्थना पत्र को उसक कार्यालय अधिकारी श्री जरावीर सिंह ले. कर्नल ऑफिसर कमाडिंग द्वारा दिनांक 20.12.1975 को जिला कलक्टर जयपुर को अग्रेषित किया हुआ है। "आवंटन आदेश की पटवारी को सूचना" (देखिये नियम 15(1)क) के तहत प्रेषित आदेश पर उपखण्ड अधिकारी के हस्ताक्षर एवं प्रेषण क्रमांक 2323 दिनांक 21.07.1976 दर्ज, के अनुसार श्री शंकरलाल को ग्राम केरिया खुर्द के खसरा नम्बर 282 में से 14 बीघा 07 बिस्वा भूमि आवंटन की गई है। इसी आवंटन के तहत नामान्तरण संख्या 56 अप्रार्थी संख्या 1 के लिए दर्ज किया जाकर नाम दर्ज किया गया है।

व्यक्तिगत सम्मन तामील में तामील कुनिन्दा के द्वारा "शंकरलाल ग्राम केरिया में नहीं रहता है, बाहर रहना बताया है, अतः मूल ही सेवामे पेश है' रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अप्रार्थी शंकरलाल के सैनिक विवरण की जानकारी प्राप्त करने पर कर्नल रविन्द्र कुमार मायर (सै0नि0) जिला सैनिक कल्याण अधिकारी जयपुर के पत्रांक 2653 दिनांक 04.08.2015 के द्वारा "सिपाही शंकरलाल पुत्र श्री लालूराम गांव/पो0 साली, तहसील दूदू, जिला जयपुर" जानकारी से अवगत कराया गया है।

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार मौजमाबाद द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी शंकरलाल का मौके पर कब्जा नही है।

अप्रार्थी पक्षकार के उपस्थित नहीं होने के कारण इस संबंध में कोई अन्य तथ्य प्राप्त नहीं है। फिर भी राजकीय मूल दस्तावेजो से प्राप्त साक्ष्यों का अवलोकन करने से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष मे नियमानुसार आवंटन होना सिद्ध हो रहा है। प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र नुमाइशी कहा है जो कि उपखण्ड अधिकारी सांभर द्वारा प्रेषित मूल रिकार्ड साक्ष्य से गलत सिद्ध हो जाता है। लेकिन अप्रार्थी उपस्थित नही है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार श्री शंकरलाल पुत्र लाल कौम रैगर सा.देह गैर खातेदार के रूप मे खसरा नम्बर 277 रकबा 0.20 हैक्टर गै.मु. सडक एवं खसरा नम्बर 452 रकबा 2.46 हैक्टर बारानी 2 किता 2 रकबा 2.66 हैक्टर भूमि दर्ज है। उनके निवास की सही स्थिति का पता नहीं चलता है। साथ ही मौके पर अप्रार्थी का कब्जा नहीं है। उसके द्वारा तत्समय प्रभावी नियमानुसार आवंटन की शर्तो की पालना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में यह प्रार्थना पत्र इस अप्रार्थी संख्या 1 शंकरलाल के विरूद्ध 14(4) के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

(2) अप्रार्थी बद्री नारायण गौड पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी केरिया खुर्द हाल निवासी मकान नं0 155 सन्तोष सागर कॉलोनी, ब्रह्मपुरी रोड जयपुर – अपने प्रत्युत्तर में अप्रार्थी श्री बी.एन.गौड (बदीनारायण गौड पुत्र श्री हनुमान प्रसाद) के द्वारा एक फोटो प्रति आवंटन आदेश की संलग्न की गई है जिसके अनुसार ग्राम केरियाखुर्द में खसरा नम्बर 282 में से रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा भूमि अप्रार्थी को भूमि आवंटन किया जाना वर्णित किया गया है। उपखण्ड अधिकारी द्वारा प्रेषित दस्तावेजों में श्री बी.एन.गौड से संबंधित पत्रावली प्रेषित नहीं की है। उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक द्वारा अपने पत्र कमांक विविध/12/743 दिनांक 21.08.2012 को प्रेषित पत्रावली में कानसिंह के पत्राचार पत्रावली के साथ "आवंटन आदेश की पटवारी को सूचना" आदेश पत्र में श्री बी.एन.गौड को दिनांक 28.06.1976 को ग्राम केरियाखुर्द तहसील दूदू के खसरा नम्बर 282 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा आवंटन का आदेश कमांक 2326 दिनांक 02.07.1976 को आवंटन किये जाने बाबत आदेश दिये हैं। संबंधित पत्रादि में इस पत्रावली के साथ कानसिंह के नाम के कागजात शामिल है। इसी आदेश के आधार पर नामान्तरण संख्या 52 सिवायचक खसरा नम्बर 282 रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा में से श्री बी.एन.गौड के नाम से खसरा नम्बर 282 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा का नामान्तरण स्वीकार किया गया है। श्री बी.एन.गौड के नाम से वर्तमान में खसरा नम्बर 264 रकबा 0.25 हैक्टर गैमु. सडक, खसरा नम्बर 451 3.3800 हैक्टर किता 2 रकबा 3.63 हैक्टर गैर खातेदारी में दर्ज है।

अप्रार्थी श्री बी.एन.गौड के शपथ पत्र के अनुसार श्री गौड का पता निवासी केरिया खुर्द हाल निवासी प्लॉट नम्बर 155, संतोष सागर कॉलोनी, ब्रह्मपुरी रोड, जयपुर वर्णित किया है। श्री अप्रार्थी के द्वारा अपने आपको इस ग्राम केरिया खुर्द का निवासी होने के लिए कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किये गये है। तहसीलदार की प्रेषित की गई रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी श्री बी.एन.गौड का मौके पर कब्जा नहीं है। इस प्रकार मौके पर काबिज नहीं होने तथा भूमि आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने के कारण अप्रार्थी श्री बी.एन.गौड के विरूद्ध प्रार्थना पत्र नियम 14(4) स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

(3) अप्रार्थी सूरजकरण पुत्र कालू कौम रैगर, साकिन केरियाखुर्द, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर । इस अप्रार्थी को नियमानुसार सम्मन जारी किये गये। सम्मन तामील नहीं होने के कारण इसे रजिस्टर्ड डाक से तामील करवाया गया। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार श्री सूरजकरण रैगर सा. केरिया खुर्द वर्तमान मे इस नाम का कोई व्यक्ति रैगर जाति में कोई नहीं है। अतः मूल ही सेवामें पेश है" रिपोर्ट की गई है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार नामा.सं. 57 दिनांक 16.09.1977 से खसरा नम्बर 282 में रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा बंजड प्रथम सूरजकरण पुत्र कालू कौम रैगर सा.केरिया बुजुर्ग के नाम गैर खातेदारी का स्वीकार हुआ। लेकिन इस नामान्तरकरण पर पटवारी द्वारा "खसरा नम्बर 282 में रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा डबल अलॉट होने पर काबिल खारिज है' कि टिप्पणी अंकित है। एवं इस नामान्तरकरण का भी जमाबन्दी में अमल दरामद नहीं हुआ है" टिप्पणी

अतिरिक्त

की गई है। अतः अप्रार्थी सूरजकरण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नियम 14(4) का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

(4) अप्रार्थी श्रीमती मनभरी बेवा गुरधा कौम बागरिया, केरियाखुर्द तहसील मौजमावाद, जिला जयपुर। इस अप्रार्थी को सम्मन तामील किया गया है। अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से अभिभाषक श्री राजेन्द्र सिंह मण्डावरी ने वकालतनामा पेश किया। इनके द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत किया गया है न ही कोई दस्तावेजात पेश किये गये। इस संबंध में अन्य कोई तथ्य रिकार्ड पर उपलब्ध नहीं है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार श्रीमती मनभरी बेवा गुरमा कौम बागरिया सा.देह के नाम से खसरा नम्बर 332 रकबा 2.27 हैक्टर खाते में दर्ज रही है। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार नामा.सं. 204 दिनांक 13.04.06 के द्वारा मनभरी के खातेदारी स्वीकार हुई है। वर्तमान में यह भूमि विक्रय से जितेन्द्र कुमार पुत्र बोदूराम जाति यादव निवासी गिरधारीपुरा पोस्ट महलों, तहसील मौजमावाद के नाम स्वीकार हुई है। **अप्रार्थी द्वारा दस्तावेजात पेश नहीं किये जाने के कारण अप्रार्थी** के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 14(4) स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत है।

(5) प्रार्थी बाबूलाल पुत्र छोगा बलाई निवासी केरियाखुर्द तहसील दूदू, जिला जयपुर – प्रार्थी के लिए उपस्थित अभिभाषक श्री हनुमान प्रसाद चौधरी द्वारा अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि आवंटन मिसल संख्या 232 दिनांक 29.06.1976 को उपजिलाधीश सांभर द्वारा अलॉटमेन्ट दिनाक 28.06.1976 के अन्तर्गत इसके पिता श्री छोगाराम बलाई पुत्र देवा को खसरा नम्बर 282 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा तथा खसरा 251 रकबा 4 बीघा भूमि का आवंटन करना बताया गया है।

अप्रार्थी श्री बाबूलाल द्वारा उसके पिता अपने पिता स्व. श्री छोगा पुत्र देवा को ग्राम केरिया खुर्द के खसरा नम्बर 251 में से रकबा 4 बीघा एवं खसरा नम्बर 282 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा भूमि "आवंटन आदेश की पटवारी की सूचना" के आदेश क्रमांक 2329 दिनांक 21.07.1976 को आवंटन किये जाने के आदेशों की सत्यप्रति उपखण्ड अधिकारी सांभरलेक कार्यालय से प्राप्त कर संलग्न पत्रावली शामिल किया गया है। इस आदेश के आधार पर नामान्तरण संख्या 55 पटवारी स्तर पर दर्ज किया गया।

श्री बाबूलाल के द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी के लिए एक मुकदमा उनवानी छोगा बनाम तहसीलदार संख्या 21/94 दायर किया था जिसमें सहायक कलक्टर दूदू द्वारा यह आदेश दिनांक 09.12.1994 यह डिक्री आदेश पारित किया गया कि "अतः आदेश दिये जाते है कि यदि मौके पर वादी आवंटन तिथि से लगातार काबिज है और वादी का आवंटन, आवंटन के बाद निरस्त नहीं किया गया है तो नियमानुसार ना.सं. 55 दिनांक 09.09.1977 का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। अतः वादी का दावा बाबत आराजी खसरा नम्बर 282/2 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 251/3 रकबा 4 बीघा वाके ग्राम केरिया खुर्द तहसील दूदू, डिक्री किया जाता है। डिग्री पुरचा जारी हो।"

प्रस्तुत प्रकरण में मूल तथ्य यह है कि क्या बाबूलाल को भूमि का आवंटन किया गया अथवा नहीं। आवंटन संबंधी पत्रावली के अनुसार केवल भूमि का आवंटन श्री शंकरलाल के पक्ष में होना पाया गया है। आवंटन संबंधी कोई दस्तावेज प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। सहायक कलक्टर द्वारा भी – "प्रकरण में आवंटन तिथि से लगातार काबिज है और अप्रार्थी संख्या 5 का आवंटन, आवंटन के बाद निरस्त नहीं किया गया है तो है तो नियमानुसार ना.सं. 55 दिनांक 09.09.1977 का राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे" निर्णय दिया गया और निर्णय के साथ डिक्री भी पारित की गई। इस प्रकार सहायक कलक्टर के द्वारा पूर्व में भूमि अप्रार्थी संख्या 5 के पक्ष मे दर्ज करने के आदेश दिये जा चुके है। सहायक कलक्टर के आदेश के विरूद्ध कोई अपील नहीं की गई है।

इसी प्रकरण में तहसीलदार मौजमावाद द्वारा उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 24.03.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि नामान्तरण संख्या 45 दिनांक 27.03.1976 से आराजी खसरा नम्बर 281 रकबा 28 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 125 रकबा 30 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 123 रकबा 7 बीघा 12 बिस्वा किता 3 रकबा 67 बीघा 04 बिस्वा भूमि भूरदान वगैरह के खाते

Scanned with OKEN Scanner

से तथा नामान्तरकरण संख्या 49 दिनांक 18.05.1977 से रामप्रताप दान पुत्र रामकरण दान कौम चारण के खाते से खसरा नम्बर 251 रकबा 9 बीघा भूमि सीलिंग में आने के कारण सवाईचक अंकित की गई थी।

तहसीलदार द्वारा प्रकरण से संबंधित समस्त नामान्तरणों की स्थिति स्पष्ट करते हुए नामान्तरणवार स्पष्ट किया गया है कि –

- उपखण्ड अधिकारी सांभर के आदेश संख्या 1225 दिनांक 15.05.1976 के क्रम में नामा.सं. 48 दिनांक 18.05.1977 से खसरा नम्बर 282 मिन रकबा 3 बीघा 17 बिस्वा रामप्रताप दान पुत्र रामकरण दान कौम चारण सा.देह के नाम खातेदारी के हक स्वीकार हुआ।
- नामा. संख्या 52 दिनांक 16.09.1977 से खसरा नम्बर 282/1 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा बी. एन.गौड के नाम गैर खातेदारी हक स्वीकार हुआ।
- नामा. संख्या 53 दिनांक 16.09.1977 से खसरा नम्बर 251/1 रकबा 9 बीघा मनभरी बेवा गुरगा कौम बागरिया सादेह के नाम गैर खातेदारी हक स्वीकार हुई।
- नामा. संख्या 55 दिनांक 16.09.1977 से खसरा नम्बर 251/3 रकबा 4 बीघा, 282 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 12 बीघा 14 बिस्वा छोगा पुत्र देवा जाति बलाई के नाम स्वीकृत हुई लेकिन इसका नामान्तरण में अमल नहीं हुआ।
- नामा. संख्या 56 दिनांक 16.09.1977 से खसरा नम्बर 282/3 रकबा 14 बीघा 07 बिस्वा शंकरलाल पुत्र लालूराम कौम..... सां केरिया बुजुर्ग के नाम गैर खातेदारी स्वीकार की गई।
- नामा. संख्या 57 दिनांक 16.09.1977 से खसरा नम्बर 282 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा सूरजकरण पुत्र कालू कौम रैगर सा. केरिया बुजुर्ग के नाम गैर खातेदारी स्वीकार की गई। लेकिन पटवारी द्वारा इस पर डबल अलॉट होने के कारण काबिल खारिज है, नोट अंकित किया गया है।

इस प्रकार तहसीलदार द्वारा अवगत कराया गया कि खसरा नम्बर 282 एवं 251 में भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण छोगा पुत्र देवा बलाई के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना सम्भव नहीं

तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार श्री बीएन गौड गैर खातेदार एवं श्री शंकरलाल पुत्र लालू रैगर गैर खातेदार का मौके पर कब्जा नहीं है।

तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार यह स्पष्ट है कि छोगा पुत्र देवा बलाई का भूमि पर कोई कब्जा नहीं है, कोई काश्त नहीं की गई है, तत्कालीन नियमानुसार प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भूमि, अगले वर्ष में 75 प्रतिशत भूमि तथा तीसरे वर्ष में पूर्ण भूमि को काश्त अधीन लाया जाना था, जो कि आवंटी द्वारा नहीं लाया गया है, तथा आवंटन की कोई शर्त का कोई पालन नहीं किया गया है। सहायक कलक्टर दूदू द्वारा दिये गये निर्णय में भी प्रार्थी का आवंटन तिथि से लगातार काबिज होने तथा वादी का आवंटन, आवंटन के पश्चात निरस्त नहीं किया गया हो तो नियमानुसार ही नामा.संख्या 55 के अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में छोगा आवंटन तिथि से लगातार आवंटित की गई भूमि पर काबिज नहीं है तथा इस प्रकार आवंटन की शर्तों की भी कोई पालना नहीं की गई है। छोगा पुत्र देवा को भूमि का आवंटन संबंधित खसरे में भूमि उपलब्ध नहीं होने के बावजूद आवंटन किया गया है। इस कारण छोगा पुत्र देवा बलाई का आवंटन एतद् नियम 14(4) के तहत खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उक्त विवेचन के अनुसार राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रार्थी श्री बाबूलाल पुत्र छोगा जाति बलाई, निवासी केरियाखुर्द, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर अप्रार्थी श्री शंकरलाल पुत्र लालू जाति रैगर निवासी केरियाखुर्द , तहसील मौजमाबाद, अप्रार्थी श्री बी.एन.गौड पुत्र हनुमान प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी केरियाखुर्द तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर हाल निवासी कमान नं. 155 संतोष सागर कॉलोनी ब्रह्मपुरीरोड, जयपुर एवं अप्रार्थी श्री सूरजकरण पुत्र कालू कौम रैगर साकिन केरियाखुर्द तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर एवं श्रीमती मनभरी बेवा गुरधा कौम बागरिया, केरियाखुर्द तहसील

अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू

Scanned with OKEN Scanner

(7)

...ोजमाबाद जिला जयपुर के विरूद्ध स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 8 व 9 सदभावी शिकायतकर्ता हैं तथा उनके द्वारा इस प्रकरण में कोई रिलीफ नहीं चाही गई है।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।

(गोपाल परिहार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर
दूदू राज0